

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/७९/२०१८—१/०८/२०१८

लेखनक्रम: दिनांक ०४ अक्टूबर, २०१८

विषय: वित्तीय वर्ष २०१८—१९ अनुदान संख्या—१४ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त धनराशि से केन्द्रांश अवमुक्त होने की प्रत्याशा में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि रु०—१६४८१७.७४ लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपसचिव, पंचायती राज अनुभाग—३, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—७९/२०१८/३३८८(१)/३३—३—२०१८—१००(१६)/२०१५ दिनांक ०५ अक्टूबर २०१८ (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या—१४ में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रु०—३९०७२०.०० लाख में से केन्द्रांश अवमुक्त होने की प्रत्याशा में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि रु०—१६४८१७.७४ लाख (रूपया सोलह अरब अड़तालीस करोड़ सत्तरह लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत रु०—१६४८१७.७४ लाख (रूपया सोलह अरब अड़तालीस करोड़ सत्तरह लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:—

१—आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय—व्ययक) के अनुभाग—१ के कार्यालय ज्ञाप सं०—१/२०१८/बी—१—३७५/दस—२०१८—२३१/२०१८ दिनांक ३० मार्च, २०१८ एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—२ के शासनादेश सं०—१६/२०१८/बी—२—९७९—१०—२०१८—२४४/२०१८, दिनांक ०१—०९—२०१८ में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरण: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने पर उसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में उक्त धनराशि केन्द्रांश की सीमा तक समायोजित की जायेगी।

२—उक्तानुसार आवंटित धनराशि भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में आवंटित की जा रही है। भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त इसका समायोजन किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

३—उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

४—इस सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

५—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लेखनक्रम में उ०प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन (SSM) के नाम से खोले गये खाता संख्या—५२१३०२०१०६००३४, आई०एफ०एस०सी० कोड यू बी आई एन—०५५२१३५ में जमा किया जायेगा।

6—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु—13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित खाते से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त सम्बन्धित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7—उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में अनुदान संख्या—14 के लेखाशीषक “2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—101—पंचायती राज—01—केन्द्र प्रायोजित योजनाएं—0103—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के060 / रा040—के0+रा0)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)” के नामे डाला जायगा।

8—शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934 / दस—2008—मि0—1 / 2007 दिनांक 02—09—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9—आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10—उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायगा।

11—उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

12—धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—126 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदाय,

(मासूम अली सरवर)

निदेशक,

पंचायती सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1 / शा0 / 79 / 1 / 2018 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
- 3— अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— उप निदेशक (पं0) / योजना प्रभारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 7— एस0पी0एम0य० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

( ब्रजश कुमार )

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।